मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी, 2003 (माघ 24, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, श्री जी. जगतपति,भूतपूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्रों में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश का –

(क) नगर निगम भोपाल द्वारा मार्च, 1990 से दिसम्बर,1992 के मध्य 4000 वर्गफुट भूमि आवंटन करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन,

(ख) प्रतिवेदन क्रमांक एम. सी.–5, भोपाल नगर निगम द्वारा 4000 वर्गफुट क्षेत्रफल के दो भू–खण्डों का आवंटन का जांच प्रतिवेदन,

(ग) ग्वालियर नगर निगम द्वारा वर्ष मार्च, 1990 से दिसम्बर,1992 के मध्य आवंटित भूमि का जांच प्रतिवेदन,

(घ) रपट नं. डी–iv भोपाल विकास प्राधिकरण; तथा

(ङ) प्रतिवेदन क्रमांक सैंतीस, सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित एवं मंदाकिनी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित द्वारा पटवारी हल्का क्रमांक 39, ग्राम दामखेड़ा वीरान (कोलार रोड) में प्रस्तावित आवासीय योजना की भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 की धारा 29 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5722 –इक्कीस–ब (दो), दिनांक 6 अगस्त,2002 एवं क्रमांक 5932–इक्कीस–ब (दो), दिनांक 23 सितम्बर, 2002, शुद्धि पत्र ; तथा

(ख) विधिक सेवा अधिनियम,1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई) –8–2002–इक्कीस– ब (दो), दिनांक 13 सितम्बर, 2002, पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम,1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 47 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2001–2002 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619– क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की 40 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2001–2002 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–46–98–दस–2, दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे.

(6) डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) की धारा 45 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.5–46–2002 – पचपन–चिशि–1, दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 पटल पर रखेंगी.

(7) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(8) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1995 की धारा 17 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.एफ.23-35-95-पच्चीस-5, दिनांक 23 नवम्बर, 2002 पटल पर रखेंगी.

3. नवम्बर, 2002 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2002 सत्र में सदन में पढी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बेसली बांध में बरसात का पानी रोके जाने से कृषकों की डूब में आई भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के सोहागपुर पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नेत्र शिविर के दौरान अनेक व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, मध्यप्रदेश सीमेंट अपमिश्रण निवारण (निरसन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 1 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा:-

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

भोपाल :
दिनांक : 12 फरवरी, 2003

डॉ.ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.